R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 6 ♦ दिसम्बर 31, 2018

एमसीआईआर 2018 के मुख्य अंश

जनवरी

वित्तीय बाजार विनियमन

- रिज़र्व बैंक ने 12 जनवरी 2018 को समुद्रपारीय बाजारों में पण्य-वस्तु मूल्य जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए।

विदेशी मुद्रा प्रबंध

- रिज़र्व बैंक ने 4 जनवरी 2018 को भारत में विदेशी निवेश पर मास्टर निदेश जारी किए जिसमें बनाए गए विनियमों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से अपने ग्राहकों/संघटकों के साथ प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले विदेशी मुद्रा कारोबार के तौर-तरीके निर्धारित किए गए।
- समान स्तरीय क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से 4 जनवरी 2018 को भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं/सहायक संस्थाओं को अनुमति दी की वे उच्च रेटिंग (एएए) वाले बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) और नवरत्न तथा महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का पुनर्वित्त करें।

फरवरी

बैंकिंग विनियमन

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के कार्यान्वयन की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने 12 फरवरी 2018 को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के स्थान पर समन्वित और सरलीकृत सामान्य ढांचा शुरू किया।

मुद्रा प्रबंध

- रिज़र्व बैंक ने 15 फरवरी 2018 को सभी बैंकों को सूचित किया कि वे अधिमानतः रूप से सिक्कों विशेषकर ₹1 और ₹2 मूल्यवर्ग के सिक्कों को भार के हिसाब से स्वीकार करें।

बैंकिंग पर्यवेक्षण

- रिज़र्व बैंक ने 20 फरवरी 2018 को रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड के पूर्व सदस्य श्री वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की जो आस्ति वर्गीकरण और बैंकों के क्रेडिट पोर्टफोलियो में बैंकों द्वारा किए गए प्रावधानीकरण तथा भारतीय बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ियों की बढ़ती घटनाओं और रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी आकलन में देखे गए उच्च विचलन के कारणों का पता लगाएगी तथा इन्हें रोकने के आवश्यक कदम उठाएगी।

गैर-बैंकिंग विनियमन

- रिज़र्व बैंक ने 23 फरवरी 2018 को चयनित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जो (क) जमाराशि स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हैं या (ख) जिनके पास ग्राहक इंटरफेस है और जिनकी आस्तियां पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख को एक बिलियन रुपये और इससे अधिक हैं या जिनका आस्ति आकार ऐसा है जो रिज़र्व बैंक निर्धारित करें, वे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 के दायरे में आएंगी और उन्हें इस योजना के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।

मार्च

वित्तीय समावेशन और विकास

- रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2018 को निर्णय लिया कि समायोजित निवल बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोज़र राशि के समकक्ष क्रेडिट का आठ प्रतिशत का उप-लक्ष्य, जो भी अधिक हो, 20 और इससे अधिक शाखाएं रखने वाले विदेशी बैंकों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 से लघु और सीमांत किसानों को दिए जाने वाले उधार के लिए लागू हो जाएगा।

विदेशी मुद्रा प्रबंध

- रिज़र्व बैंक ने 13 मार्च 2018 को तत्काल प्रभाव से एडी श्रेणी-I बैंकों द्वारा भारत में आयात के लिए ट्रेड क्रेडिट के लिए समझौता पत्र (एलओयू) तथा सुविधा पत्र (एलओसी) जारी करने की प्रथा बंद करने का निर्णय लिया।

अप्रैल

बैंकिंग विनियमन

- रिज़र्व बैंक ने 6 अप्रैल 2018 को निर्णय लिया कि ग्राहकों द्वारा खरीद किए गए एकल सादे विदेशी मुद्रा आप्शनों (संलग्न संरचनाओं के बिना) को उपयोगकर्ता उचित और उपयुक्त मानदंडों से मुक्त किया जाएगा तथा विनियामकीय अपेक्षाएं विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड संविदाओं के समान होगी।

भुगतान और निपटान प्रणाली

- रिज़र्व बैंक ने 6 अप्रैल 2018 को निर्णय लिया कि सभी सिस्टम प्रदाता सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा परिचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित संपूर्ण आंकड़े भारत में ही किसी सिस्टम में स्टोर किए जाएं। इन आंकड़ों में संदेश/भुगतान अनुदेश के भाग के रूप में पूर्ण एंड टू एंड लेनदेन ब्यौरे/प्राप्त की गई/ली गई/प्रोसेस की गई सूचना शामिल होनी चाहिए।

विदेशी मुद्रा प्रबंध

- जुड़े हुए जोखिमों की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने 6 अप्रैल 2018 को निर्णय लिया कि रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाए तत्काल प्रभाव से आभासिक मुद्राओं (वीसी) में लेनदेन नहीं करेंगी या वीसी में लेनदेन करने या उनका निपटान करने में किसी व्यक्ति या संस्था सुविधा देने के लिए सेवाएं उपलब्ध नहीं कराएंगी।
- निगरानी में सुधार करने और उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 12 अप्रैल 2018 को निर्णय लिया कि एलआरएस के अंतर्गत व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले लेनदेनों के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा दैनिक रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की जाए जो सभी अन्य प्राधिकृत व्यापारियों के लिए पहुंचनीय होगी।

मुद्रा प्रबंध

- रिज़र्व बैंक ने 12 अप्रैल 2018 को बैंकों को सूचित किया कि वे अपने एटीएमों में लॉक करने योग्य कैसेटों का उपयोग करने पर विचार करें जिसे नकदी डालने के समय पर स्वैप किया जाएगा।

वित्तीय समावेशन और विकास

- श्री बी.पी. कानुनगो, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 18 अप्रैल 2018 को पांच बुकलेटों के रूप में पांच चुनिंदा लक्ष्य समूहों के लिए कस्टमाइज्ड वित्तीय साक्षरता सामग्री जारी की।

मई

आंतरिक ऋण प्रबंधन

- निवेशकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने तथा प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मुलधन (स्ट्रिप्स) की अलग से ट्रेडिंग को बाजार आवश्यकताओं के साथ अधिक संरेखित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 3 मई 2018 को मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन किया।

बैंकिंग विनियमन

- आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों द्वारा उनके परिचालन शुरू करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने 17 मई 2018 को सूचित किया कि मूल बैंक से अपनी आईबीयू को किसी विदेशी मुद्रा में कम से कम 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर या इसके समकक्ष पूंजी उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा जिसे हर समय बनाए रखा जाना चाहिए।

जून

बैंकिंग विनियमन

- रिज़र्व बैंक ने 6 जून 2018 को अस्थायी रूप से बैंकों और एनबीएफसी को अनुमति दी कि वे वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) के अंतर्गत अपंजीकृत एसएसएमईज सहित सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 31 मई 2018 तक प्रदान किए गए ₹ 250 मिलियन तक के समग्र एक्सपोज़र को देय मानदंड के बाद 180 दिनों के अनुसार ''मानक आस्ति'' के रूप में वर्गीकृत करें।
- रिज़र्व बैंक ने 15 जून 2018 को बैंकों को अनुमति दी कि वे अपने द्वारा धारित एनडीटीएल के अन्य दो प्रतिशत की सरकारी प्रतिभूतियों की गिनती अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के अंदर चलनिधि कवरेज़ के लिए चलनिधि का लाभ उठाने की सुविधा (एफएएलएलसीआर) के अंतर्गत अपनी एलसीआर का परिकलन करने के प्रयोजन से स्तर 1 उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में करें।

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग

- रिज़र्व बैंक ने 19 जून 2018 को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत पात्रता के लिए आवास ऋण सीमा को महानगरीय केंद्रों (दस लाख और उससे अधिक की आबादी वाले) में ₹35 लाख और अन्य केंद्रों में ₹25 लाख के रूप में संशोधित किया, बशर्ते निवासी यूनिट की समग्र लागत महानगरीय केंद्रों और अन्य केंद्रों में क्रमश: ₹45 लाख और ₹30 लाख से अधिक न हो।

जुलाई

बैंकिंग विनियमन

- डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान के कारण उत्पन्न होने वाली चिंताओं और धनशोधन हेतु इसके संभावित दुरुपयोग को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंकने 12 जुलाई 2018 को यह निर्णय लिया कि जारीकर्ता बैंक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक आदि के मुखपृष्ठ पर ग्राहक का नाम शामिल किया जाएगा।

मुद्रा प्रबंधन

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 जुलाई 2018 को महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹100 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी किए, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर डॉ. उर्जित आर.पटेल के हस्ताक्षर है।

वित्तीय बाजार परिचालन

- फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने रिज़र्व बैंक से यूएसडी/आयएनआर के लिए संदर्भ दर की गणना और प्रसार और अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की जिम्मेदारी ली।

अगस्त

बैंकिंग विनियमन

- रिज़र्व बैंक ने 2 अगस्त 2018 को सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक को फॉर्म मएफ रिटर्न और फॉर्म VIII रिटर्न में रिपोर्टिंग के लिए विदेशी आस्तियों/जमाराशियों को परिवर्तित करने के उद्देश्य से बैंक एफबीआईएल द्वारा घोषित परिवर्तन दर का उपयोग करना सूचित किया।

सहकारी बैंक विनियमन

- शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के विनियमन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में, रिज़र्व बैंक ने 16 अगस्त 2018 को यह निर्णय लिया कि शहरी सहकारी बैंकों को द्वितीयक बाज़ार में गैर एसएलआर निवेशों के अधिग्रहण / बिक्री हेतु वाणिज्यिक बैंकों एवं प्राथमिक डीलरों के अलावा म्यूचुल फंड्स, पेंशन / भविष्य निधियों एवं बीमा कंपनियों के साथ भी पात्र लेन-देन करने की अनुमति दी जाए।
- रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया कि 20 अगस्त 2018 से, एलएएफ अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) को भी प्रदान किया जाएगा जो कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) सक्षम हैं और जिनके पास पूँजी जोखिम (भारित) परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) कम से कम 9 प्रतिशत है।

सितंबर

वित्तीय समावेशन और विकास

- रिज़र्व बैंक ने 21 सितंबर 2018 को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की आस्तियों के सृजन हेतु, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर), एनबीएफसी-एनडी-एसआई (इसके उपरांत एनबीएफसी के रूप में माने जाने वाले) के साथ ऋण की सह-उत्पत्ति करना सूचित किया ।

बैंकिंग विनियमन

- रिज़र्व बैंक ने 27 सितंबर 2018 को बैंकों को 1 अक्तूबर 2018 से प्रभावी रूप में, एलसीआर की गणना के प्रयोजन से स्तर 1 एचक्यूएलए के रूप में अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के भीतर एफएएलएलसीआर के अंतर्गत धारित सरकारी प्रतिभूतियों को उनके एनडीटीएल के और 2 प्रतिशत तक मान्यता देने की अनुमति दी।
- आंतरिक लोकपाल योजना 2018 के अनुसार, भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जिनके 10 से अधिक बैंकिंग आउटलेट्स (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) हैं, उनके बैंकों में आंतरिक लोकपाल (आईओ) नियुक्त करने की आवश्यकता है।

अक्तूबर

बैंकिंग पर्यवेक्षण

- रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श कर, 3 अक्तूबर 2018 को यह निर्णय लिया कि बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति को अधिक उदार बनाया जाए तथा सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को कार्यशील पूंजी हेतु स्वचालित मार्ग के अंतर्गत सभी मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से 3/5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि के लिए ईसीबी जुटाने की अनुमति दी जाए।

भुगतान और निपटान प्रणाली

- रिज़र्व बैंक द्वारा 16 अक्तूबर 2018 को अंतःपरिचालनीयता के कार्यान्वयन के लिए बेहतर तैयारी हेतू, सभी चरणों को आरंभ करने के लिए समेकित दिशानिर्देश जारी किए गए।

बैंकिंग विनियमन

- रिज़र्व बैंक ने 19 अक्तूबर 2018 को तत्काल प्रभाव से, बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि 19 अक्तूबर 2018 की तिथि तक उनकी बहियों में बकाया एनबीएफसी और एचएफसी को ऋण की राशि के अलावा एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को दिए गए वृद्धिशील बकाया ऋण के समतुल्य राशि तक धारित सरकारी प्रतिभूतियों की भी गणना अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के अंतर्गत एफएएलएलसीआर के तहत स्तर I एचक्यूएलए के रूप में की जाएगी।

सहकारी बैंक पर्यवेक्षण

- रिज़र्व बैंक ने 19 अक्तूबर 2018 को सभी शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए लागू बेसिक साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए।

गैर-बैंकिंग विनियमन

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 अक्तूबर 2018 को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियमन 2002 (अधिनियम) के तहत पंजीकृत है पर दिशानिर्देश जारी किए।

वित्तीय बाजार विनियमन

- रिज़र्व बैंक ने 29 अक्टूबर 2018 को स्पष्ट किया कि भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक, उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों के रूप में कॉल / नोटिस / टर्म मनी मार्केट (इसके बाद कॉल मार्केट के रूप में संदर्भित) में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

नवंबर

बैंकिंग विनियमन

- रिज़र्व बैंक ने 2 नवंबर 2018 को बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण, जमाराशि न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को आंशिक ऋण संवर्धन (पीसीई) प्रदान करने की अनुमति दी।

भुगतान और निपटान प्रणाली

- रिज़र्व बैंक ने 15 नवंबर 2018 को बैंकों को सूचित किया कि धन हस्तांतरण के पूरा होने के संबंध में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली के तहत धन के प्रेषककर्ता को एक सकारात्मक पुष्टि भेजें।

गैर-बैंकिंग विनियमन

- रिज़र्व बैंक ने 29 नवंबर 2018 को 5 वर्ष से अधिक मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋणों के संबंध में प्रवर्तक एनबीएफसी के लिए न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी) में छूट प्रदान करते हुए, इसे, चुकौती की छः मासिक किस्तें अथवा दो तिमाही किस्तें किया ।

दिसंबर

बैंकिंग विनियमन

- निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (एमसीएलआर) प्रणाली के कार्य की समीक्षा के लिए बनी आंतरिक अध्ययन समूह की रिपोर्ट (अध्यक्ष: डॉ. जनक राज) में प्रस्तावित किया गया कि सभी नए फ्लोटिंग रेट पर्सनल या रिटेल लोन (आवासीय, ऑटो, और अन्य) और 1 अप्रैल 2019 से बैंकों द्वारा प्रदान किए गए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के फ्लोटिंग दर ऋण को निम्नलिखित में से किसी एक पर बेंचमार्क किया जाएगा:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति रेपो दर, या
ii. वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा तैयार किए गए भारत सरकार के 91 दिनों के खजाना बिल का प्रतिफल, या
iii. एफबीआईएल द्वारा तैयार किए गए भारत सरकार के 182 दिनों के खजाना बिल का प्रतिफल,या
iv. एफबीआईएल द्वारा तैयार की गई कोई अन्य बेंचमार्क मार्केट ब्याज दर।

- बैंकिंग प्रणाली से कार्यशील पूंजी की सुविधा का लाभ ले रहे बड़े कर्जदारों के बीच क्रेडिट अनुशासन को बढ़ाने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने 5 दिसंबर 2018 को ''बैंक ऋण सुपुर्दगी के लिए ऋण प्रणाली पर दिशानिर्देश'' जारी किए।

सहकारी बैंक पर्यवेक्षण

- श्री वाई.एच. मालेगाम,की अध्यक्षता में नए शहरी सहकारी बैंकों (2010) को लाइसेंस देने संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार हर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) में यूसीबी में प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से निदेशक मंडल (बीओडी) के अलावा प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) का गठन किया जाएगा।

वित्तीय बाजार

- गैर-निवासियों को ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी) बाजार तक पहुंच प्रदान करने के बारे में मसौदा निर्देशों में प्रस्ताव किया गया कि गैर-निवासियों को किसी भी उपलब्ध आईआरडी साधन का उपयोग करके अपने रुपया ब्याज दर जोखिम से बचाव करने की अनुमति दी जाए।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

- फेमा, 1999 के तहत समय-समय पर बनाए गए कई विनियमों को युक्तिसंगत बनाने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 दिसंबर 2018 को सरकार के परामर्श से विदेशी मुद्रा और भारतीय रूपया दोनों में भारत में रहने वाले व्यक्ति और भारत के अनिवासी व्यक्ति दोनों के बीच सभी प्रकार के उधार संबंधी लेन-देनों को नियंत्रित करने वाले विनियमों को समेकित किया।

ग्राहक शिक्षा और संरक्षण

- रिज़र्व बैंक ने 5 दिसंबर 2018 को 'डिजिटल लेनदेनों के लिए लोकपाल योजना' लागू करने का निर्णय लिया जिसमें रिज़र्व बैंक के विनियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जानेवाले डिजिटल लेनदेनों को शामिल किया जाएगा। इस योजना को जनवरी 2019 के अंत तक अधिसूचित किया जाएगा।
- रिज़र्व बैंक ने 5 दिसंबर, 2018 को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के लिए ग्राहक देयता को सीमित करने का लाभ बढ़ाया।इस विषय पर मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा कवर नहीं की गई अन्य संस्थाओं द्वारा जारी प्रीपेड भुगतान उपकरण (पीपीआई) शामिल हैं। इससे पहले, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को जारी करने वाले बैंकों और क्रेडिट कार्ड से जुड़े अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के संबंध में ग्राहक की देयता को सीमित करने के निर्देश दिए गए थे।

वित्तीय समावेशन

- 5 दिसंबर 2018 को रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए कारणों की पहचान करने और दीर्घकालिक समाधान का प्रस्ताव करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के अपने इरादे की घोषणा की। (https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx? prid = 45658)

सांख्यिकीय प्रकाशन

- 5 मई 2018 को रिज़र्व बैंक ने अपने सांख्यिकीय प्रकाशन का तीसरा संस्करण ''भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक 2017-18'' जारी किया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 दिसंबर 2018 को भारत के बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियां 2017-18' शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया, जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों की गतिविधियों को शामिल किया गया।
- रिज़र्व बैंक ने 28 दिसंबर 2018 को अपनी वैधानिक रिपोर्ट 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2017-18' जारी की। यह रिपोर्ट 2017-18 और 2018-19 के दौरान अब तक के बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित प्रदर्शन और मुख्य नीतिगत उपायों को प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों का विश्लेषण भी प्रदान करती है।
- रिजर्व बैंक ने 31 दिसंबर 2018 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का अठारहवां अंक जारी किया। एफएसआर, वित्तीय स्थिरता जोखिम पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति की सामूहिक मूल्यांकन को और साथ ही साथ वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को दर्शाता है। रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के विकास और नियमन के लिए संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई है ।

आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं

द्वि-मासिक नीति समीक्षा - 2018

मौद्रिक नीति समीक्षा	तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत पॉलिसी रेपो दर	तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत रिवर्स रेपो दर	बैंक दर
7 फरवरी 2018 का मौद्रिक नीति वक्तव्य	6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	5.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा	6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित
5 अप्रैल 2018 का मौद्रिक नीति वक्तव्य	6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	5.75 प्रतिशत पर	6.25 प्रतिशत
6 जून 2018 का मौद्रिक नीति वक्तव्य	6.00 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत तक बढ़ गया	6.0 प्रतिशत पर समायोजित	6.50 प्रतिशत पर समायोजित
1 अगस्त 2018 का मौद्रिक नीति वक्तव्य	6.25 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत तक बढ़ गया	6.25 प्रतिशत पर समायोजित	6.75 प्रतिशत पर समायोजित
5 अक्तूबर 2018 का मौद्रिक नीति वक्तव्य	6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	6.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित
5 दिसंबर 2018 का मौद्रिक नीति वक्तव्य	6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	6.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित	6.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।